न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00048 **दायरा दिनांक : 06.07.2020**

उनवान

1. कजोड़ आयु 70 वर्ष पुत्र कान्हा
2. प्रेमबाई आयु 80 वर्ष पत्नी मोहनलाल
3. परमान्द आयु 48 वर्ष पुत्र रामकिशन
4. मेघराज आयु 40 वर्ष पुत्र मोहनलाल
5. रमेशचन्द आयु 43 वर्ष पुत्र मोहनलाल
6. नेमीचन्द आयु 40 वर्ष पुत्र मोहनलाल

जातियान मीणा, निवासीगण उग्रपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज०)

.... अपीलांट

बनाम

1. धन्नालाल आयु 60 वर्ष कन्हैयालाल
2. बाबूलाल आयु 55 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल
3. सत्यनारायण आयु 57 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल
4. जीतू आयु 20 वर्ष पुत्र सत्यनारायण
5. दिलखुश आयु 25 वर्ष पुत्र सत्यनारायण
6. संदीप आयु 20 वर्ष पुत्र सत्यनारायण
7. लटूरलाल आयु 50 वर्ष पुत्र रामकिशन

जातियान मीणा, निवासीगण उग्रपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज०)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कृष्ण गोपाल भार्गव एवं श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 08.04.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 19/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी लटूरलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल उग्रपुरा, तहसील अटरू, जिला बारां में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आराजी खाता संख्या 64 की कुल 25 किता की 10.92 हेक्टर आराजी वादी एवं अन्य खातेदारान के शामलाती खाता दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का 1/8 हिस्सा दर्ज खाता चली आ रही है। खसरा नम्बर 210 रकबा 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 रकबा 0.24 हेक्टर आराजी वादी को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई है, जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा दिनांक 22.05.2017 को केम्प में एक निर्णय एवं डिक्री जारी कर कानूनी भूल की है, जिसके कारण से उक्त निर्णय एवं डिक्री काबिल निरस्तनीय है। भूमि खसरा नम्बर 210, 211, 212 एवं 213 वाके ग्राम उग्रपुरा, तहसील अटरू के अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेंट लटूरलाल सहखातेदार हैं। उसके पश्चात भी अपीलान्ट्स को बिना सुने, बिना इत्तला दिए, बिना पक्षकार बनाए अपीलान्ट्स के खाते की जमीन के खिलाफ किसी भी प्रकार का निर्णय कानूनी तौर पर नहीं दिया जा सकता है, जबकि अपीलान्ट्स को किसी को भी पक्षकार नहीं बनाया है। उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा खसरा नम्बर 213 वाके ग्राम उग्रपुरा, तहसील अटरू की आराजी में से रास्ता देकर कानूनी भूल की है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। इस बात की हल्का पटवारी रिपोर्ट कर चुका था कि यहां मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं है। हमनें तहसीलदार साहब व अन्य अधिकारीगण व रेस्पोडेंट्स से कहा कि यह जमीन तो हमारे खाते व कब्जे काश्त की है, जिसमें हमें न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही हमें सुना गया है। इस कारण हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का निर्णय एवं डिक्री पारित करने का अधिकार नहीं है। कोई भी न्यायालय किसी भी व्यक्ति की जमीन में होकर बिना उसका उचित मुआवजा व जमीन दिए बिना रास्ता निकालने का अधिकार नहीं होता है और न ही बिना खातेदार को सुने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का निर्णय देने का अधिकार होता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 22.05.2017 बिना खातेदारों को सुने और बिना प्रकरण में पक्षकार बनाए जो निर्णय दिया है, वह निर्णय एवं डिक्री काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट्स के पक्ष में निम्न प्रकार का निर्णय देने की कृपा करें –

(अ) अधीनस्थ न्यायालय अटरू द्वारा दिया गया निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जावे एवं इस बात के लिए पाबंद किया जावे कि बिना सभी पक्षकारों को सुने किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जावे, क्योंकि अपीलान्ट्स सहखातेदार हैं।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(ब) अधीनस्थ न्यायालय को पाबंद किया जावे कि अपीलान्ट्स के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213 में किसी प्रकार का नया रास्ता नहीं निकाले तथा रेस्पोडेंट लटूरलाल को छोड़कर सबको पाबंद किया जावे कि वे जबरदस्ती अपीलान्ट्स के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213 की आराजी में से न तो नया रास्ता बनावे और न ही निकलने की कोशिश करें। लटूर लाल सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया है किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट कम–7 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 6 के विरुद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया। वाद प्रतिवादीगण (रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 6) की तलवी में चल रहा था दिनांक 28.01.2016 को प्रतिवादीगण की तामील हो गई तथा दावा प्रतिवादीगण के जवाब दावे में जैरकार हो गया तथा कई तारीखे बदलने पर पत्रावली में 08.05.2017 दिनांक जवाब दावे हेतु निर्धारित की तथा 08.05.2017 को राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट में पेश हुई परन्तु "लोक अदालत/केम्प कोर्ट में निस्तारण नहीं होने की दशा पत्रावली पूर्ववत दिनांक को पेश हो" की आदेशिका लिखी जाने के बाद दिनांक 22.05.2017 को ही राजस्व लोक अदालत केम्प के आधार पर अपीलांट वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा कर अपीलांट के खाते की भूमि पर रास्ता देने का आदेश दे दिया अर्थात 188 आर.टी.ए. के दावे में 251 आर.टी.ए. के तहत रास्ता रास्ता दे दिया जो विधि एवं साक्ष्य के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा उक्त वाद में अपीलांट को पक्षकार भी नहीं बनाया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लोक अदालत में न्यायालय ने खसरा नं. 213 की उत्तरी मेड से होता हुआ खसरा नं. 213 की पश्चिमी मेड से दक्षिण की तरफ खसरा नं. 211 रकबा 0.03 गैर मु. चाह तक तथा खसरा नं. 210 व 208 की पश्चिमी से होता हुआ खसरा नं. 140 में जावेगा, जबकि अपीलांट खसरा नं. 210, 211, 212 एवं 213 का खातेदार कृषक है ऐसी अवस्था में अपीलांट वाद में उचित एवं आवश्यक पक्षकार थे चाहे वादी उनसे कोई रिलीफ नहीं चाहता किंतु खातेदार होने के कारण उन्हें पक्षकार के रूप में संबोधित किया जाना आवश्यक था 'वादी एवं प्रतिवादीगण ने कोल्यूजन करके वादी का वाद डिक्री करवाया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

वादी (रेस्पोडेंट कम–7) का वाद 188 आर.टी.ए. का था तथा किस प्रकार डिक्री हुआ वह 251 एवं 251(ए) आर.टी.ए. के प्रावधानों से गर्वन हुआ जबकि धारा–188 आर.टी.ए. का वाद इस प्रकार डिक्री नहीं किया ज सकता है जिस प्रकार से डिक्री कर दिया गया है (धारा 188 आर.टी.ए. एवं धारा 251 एवं 251 (ए) आर.टी. ए. के प्रावधान संलग्न है) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की घोर उपेक्षा की है इस कारण से वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

यहां उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने 188 आर.टी.ए. के दावे में रास्ता कायम कर दिया तथा स्वयं मौके पर भी नहीं गये इस कारण से निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना उनकी भूमि पर रास्ता देने के कारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 अपास्त किये जाने योग्य है। इन आधारों पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2017 को निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे (8) 2001 पेज 313 की नजीर उद्धरत की।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता सहखातेदारान होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति-रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार ग्राम उग्रपुरा, तहसील अटरू की खाता संख्या 64 की कुल किता 25 रकबा 10.92 हेक्टर आराजी रमेश चन्द, मेघराज पुत्र प्रेमबाई बेवा मोहनलाल हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर, कजोड पुत्र काना हिस्सा 1/4, लटूरलाल, परमानन्द पुत्र रामकिशन हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर, कालीबाई पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/4 जाति मीणा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। शामलाती खाते की उपरोक्त आराजी में से खसरा नम्बर 210 की 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 211 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 212 की 0.09 हेक्टर, खसरा नम्बर 213 की 0.24 हेक्टर आराजी को पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी लटूरलाल के हिस्से में आना बताते हुए अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 6 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 213 के मध्य में होकर नया रास्ता नहीं निकाले तथा पूर्व की भांति खसरा नम्बर 211, 212 व 213 के मध्य की मेड पर होकर रास्ते के रूप में उपयोग करें।

अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प मुसई गुजरान में पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.05.2017 पर निर्णय पारित करते हुए अंकित किया है कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है। आपसी सहमति से खसरा नम्बर 213 की उत्तरी मेड से होता हुआ खसरा नम्बर 213 की पश्चिमी मेड से दक्षिण की तरफ खसरा नम्बर 211 रकबा 0.03 हेक्टर गैर मुमकिन चाह तक तथा खसरा नम्बर 210 व 208 की पश्चिमी से होता हुआ खसरा नम्बर 140 में जायेगा। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में होकर आये–जाये इसमें किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। अधीनस्थ न्यायालय की इस आदेशिका पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, ना ही उभयपक्षकारान द्वारा कोई सहमति पत्र/समझौता अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते वक्त इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के अनुसार खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213 की आराजी अपीलांट क्रम 1 लगायत 5 व रेस्पोडेंट क्रम 7 के शामलाती खाते में दर्ज रिकॉर्ड है तथा वाद पत्र की मद नम्बर 2 में अंकितानुसार वादी लटूरलाल द्वारा खसरा नम्बर 210, 211, 212

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व 213 की आराजी के सन्दर्भ में लिखित पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे खसरा नम्बर 210, 211, 212, 213 की आराजी को केवल वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी माना जा सके। शामलाती खाते की आराजी में सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना तथा सहखातेदारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है। अतः हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाते हुए सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा